(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर देश में पहचान पत्र के दुरुपयोग का भंडाफोड़ पुलिस द्वारा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कुप्रथा को भविष्य में रोकने को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जितेन्द्र सिंह)**

**(**क**) और (ख): उपलब्ध सूचना के अनुसार, अहमदाबाद, लखनऊ और मध्य प्रदेश में से प्रत्येक से तीन मामले की सूचना है।**

**(ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय है, और, इसलिए अपराधों की रोकथाम करने और अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विधि प्रवर्तन मशीनरी के माध्यम से अभियुक्त अपराधियों के अभियोजन की भी प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, भारत सरकार अपराध के संबंध में गम्भीर रुप से चिन्हित है, इसलिए यह राज्य सरकारों को उनकी दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन पर और ज्यादा ध्यान देने तथा अपराध की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए समय-समय पर सलाह देती रहती है। सरकार ने इस संबध में 16 जुलाई, 2010 को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपराध की रोकथाम के संबंध में विस्तृत परामर्शी पत्र जारी किया है।**